

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुं० ५४/१७ तारीख २३/१२-१७

उपवान - वाशुसिंह बनाम राजन कौं० शूजर
गहमवपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमावन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थीजनों को जरिये नोटिस से तर्जुम किया जाकर दिनांक २१-१२-१७ को पेश हो।

385660
12-7-17


श्री मनोज कुमार शर्मा
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

7-12

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1, 2, 3 ने नोटिस प्राप्त करने से इन्कार की रिपोर्ट हुई है। अप्रार्थी नं. 4 ससुराल में रहना बताया गया है, अप्रार्थी नं. 5 बाबजूद उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री हंसराज गूर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2, 3 के इन्कार करने व अप्रार्थी नं. 5 के बाबजूद हरपना उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी नं. 4 का नोटिस तलबना लही पते पर पुनः पेश कर। प्रार्थी वकील ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर बहस करने का कथन किया। इसके पश्चात अप्रार्थी नं. 1 के वकील ने द. अन्तर्गत

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
18.12.17	वकुलाय उप०। प्रार्थी वकील ने नोटिस तलवाना एवं पेश किया जो नोटिस तलवाना के जारी किया जो कि वास्तु तलबी दिनांक 23-1-18 को पेश हो।
23.1.18	वकुलाय उप०। अर्थात् नं 4 को रजि. A0 से नोटिस भिजवाने की वकील ने रसीद दि. 23.12.17 की प्रेस की रसीद A0 प्राप्त नहीं। अतः रजि. दि. 27.2.18 को पेश हो।
27.2.18	वकुलाय उप०। अर्थात् नं 4 के नोटिस रजि. से भिजवाने दोष है जो से तामील मानी जाती है उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते जबाब पेश करने दि. 27.3.18 को पेश हो।
27.3.18	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दि. 16.4.18 को पेश हो।
16.4.18	प्रार्थी वकील उप०। अर्थात् वकील उप०। कर्षण। आवाज दिलावा है कि प्रार्थी वकील व अर्थात् उप० नहीं है। अतः रिक्वाय एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अतः वास्ते रजि. दि. 25.4.18 को पेश हो।
25.4.18	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दि. 17.5.18 को पेश हो।
17.5.18	पत्रावली राजस्व लोक आदालत महमदपुर में पेश हुई। वकील उपस्थित। वरस हुनी गरी प्रार्थना फर में वर्णित लक्ष्य का दोहराव कर अर्थात् गण का

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दावा के फेरसाला टोमे तक रिजार्ड एवं मोर्रा की च्या
 हिसाते कनोपे रखेन का निवेदन किया। बहस प
 मवन का पत्रावली कर अवलोकन किया। प्रकृत
 प्रमाणों के पक्ष में प्रतीत होने से दिनांक 21.7.11
 को जारी ऑनरिस आस्थाई निवेदाज्ञा को ता दावा
 फेरसाला कन्फर्म किया जाता है। गुप्त महसुदपुर
 स्थित जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या
 121, 123, 169, 124, 125, 126, 127, 128, 171, 414 में
 दर्ज आराजीयात की रिजार्ड एवं मोर्रा की च्या हिसाते
 कनोपे रखेन हेतु गैर सहायतान का पाबन्द किया
 जाता है। निर्णय आज खुले-पायालय में सुनाया
 गया। पत्रावली फेरसाला शुमार होकर नम्बर कम होकर
 दावा पत्रावली के साथ सिलज रोल

